संख्या–119/9–आ–2–1998

प्रेषक

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 20 मई, 1998

विषय : उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित की जा रही कालोनियों के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि नगरों की महायोजना में अंकित भू–उपयोग को परिवर्तन आवास एवं विकास परिषद अपने स्तर से अधिसूचना संख्या–5671/37–2–61, दिनांक : 14.3.1973 का प्रयोग कर किये जा रहे है, जो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि उक्त अधिसूचना द्वारा परिषद को उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 की धारा–25 व 26 के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं के निर्माण, योजनाओं के विन्यास प्लान स्वीकृत करने व अनाधिकृत निर्माण गिराये जाने का अधिकार, धारा–83 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी के अधिकार के रूप में प्रदान किए गये हैं, न कि महायोजना के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु कोई अधिकार दिए गये हैं।

2. अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त परिषद अधिनियम 1965 की धारा–92(2) के अन्तर्गत यह निर्देशित करने की अपेक्षा की गयी है कि परिषद की योजना क्षेत्र में भी नगरीय महायोजना के अन्तर्गत निर्धारित भू–उपयोग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–4900/9–आ–96–60 एल.यू.सी./96 दिनांक 26.12.1996 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। चूंकि महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार में निहित है, अतः भू–उपयोग परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार में निहित है, अतः भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित समस्त प्रकरण उक्त शासनादेश के तहत शासन को संदर्भित किए जाएं।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–119/9–आ–2–1998 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव